न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 608–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 186/अपील/2006–07.

....

1–मगनलाल पिता पुन्या पाटीदार
निवासी ग्राम बंडेरा तहसील महेश्वर जिला खरगोन
2–धनीबाई पति शोभाराम पाटीदार
निवासी ग्राम सोमाखेडी तहसील महेश्वर जिला खरगोन
3–कमलाबाई पति बाबूलाल पाटीदार
निवासी ग्राम करोंदिया तहसील महेश्वर जिला खरगोन
4–कुसुमबाई पति बाबूलाल पाटीदार
निवासी ग्राम करोंदिया तहसील महेश्वर जिला खरगोन
5–राधाबाई पति डालूराम पाटीदार
निवासी ग्राम महेतावाडा तहसील महेश्वर जिला खरगोन

.... आवेदकगण

विरूद्ध
1–कृष्णाचंद पिता पुन्या पाटीदार
2–भगवान पिता पुन्या पाटीदार
3–छगन पिता पुन्या पाटीदार
निवासीगण ग्राम बंडेरा तहसील महेश्वर जिला खरगोन

.... अनावेदकगण

....

श्री हरीश सोंलकी, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांकः 26/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार करही तहसील महेश्वर जिला खरगोन के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 व 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष आपास में सगे भाई बहन होकर मृतक पुन्या के पुत्र व पुत्री हैं और पुन्या के नाम ग्राम बंडेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 108 रकबा 0.057 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 257 रकबा 0.142 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 262 रकबा 0.389 हेक्टेयर कुल रकबा 0.588 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित है । पुन्या की मृत्यु दिनांक 26–3–2014 को हो गई है । आवेदिका कमांक 2 लगायत 5 मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉ है और सभी विवाहित हैं अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय में कार्यवाही के दौरान आवेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–9–05 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर सर्वे नम्बर 257 एवं 262 कुल रकबा 0.531 हेक्टेयर पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया तथा सर्वे कमांक 108 रकबा 0.057 हेक्टेयर पर अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11–4–2007 को आदेश पारित प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–1–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार की गई एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि मृतक भूमिस्वामी पुन्या के वैध वारिसों के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जायें । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) मृतक भूमिस्वामी पुन्या शुरू से ही आवेदक के साथ रहते थे इसलिये उनने वर्ष 1993 में परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष इकरारनामा लिख दिया था, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय में विधिवत् आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयनामा को आवेदकद्वारा साक्षियों द्वारा सिद्ध किया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदकगण का यह कहना उचित नहीं है कि वसीयतनामा निष्पादित करने के दिनांक को पुन्या 95 वर्ष का रहा है और उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी । इस बारे में अनावेदकगण द्वारा मूल प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है । चूँकि वसीयत सिद्ध करने का भार अनावेदकगण पर था उसके उपरांत भी उन्होंने इस बात को सिद्ध नहीं किया इसलिये अपर आयुक्त द्वारा यह मान लिया जाना कि वसीयत लिखने वाला व्यक्ति स्वस्थ था या नहीं यह आवेदकगण को प्रमाणित करना था । चूँकि आवेदक द्वारा उपरोक्त अपने गवाहों से प्रमाणित भी किया गया है जिसका खण्डन भी अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया है उसके उपरांत भी अपर आयुक्त द्वारा यह बात मान लेना कि वसीयत लिखने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं था, इस कारण वसीयत का प्रमाणीकरण नहीं मानना निराधार है ।

(4) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी दस्तावेज को किसी भी पक्षकार द्वारा संदेहास्पद बताया जा रहा है तो उसे उसके संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिये, जो कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश के अवैधानिकता के संबंध में कोई कारण अपने आदेश में नहीं दर्शाये गये हैं ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :—

(1) आवेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को सिद्ध करने का भार आवेदक कमांक 1 पर था और उसके द्वारा वसीयत को सिद्ध नहीं किया गया है ।

(2) आवेदक कमांक 1 द्वारा अपने कूट परीक्षण एवं कथन में कहा गया है कि वसीयत लिखते समय पुन्या की आयु 95 वर्ष थी और उसे ऑखों से दिखाई नहीं देता था और कानो से सुनाई नहीं देता था । स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी ।

(3) 95 वर्ष का व्यक्ति बिना किसी परिवार के व्यक्ति के सहारे के कोई कार्य नहीं कर सकता है । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर आवेदक कमांक 1 का नामान्तरण करने में त्रुटि की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण के द्वारा मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और आवेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में कोई आवेदन पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा उसे आवेदक मानकर आदेश पारित किया गया है जो न्याय की मंशा के विपरीत अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है ।

तर्क के समर्थन में एआईआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 74, 1990 (2) एम पी विकली नोट 141, एआईआर 1968 सुप्रीम कोर्ट 1332 – शंकास्पद परिस्थितियों में लिखा गया मृत्यु पत्र विश्वास योग्य नहीं । 1976 एम पी विकली नोट 414 – वृद्ध व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से मृत्यु पत्र बैध नहीं । 1976 एम पी विकली नोट 86 – स्वाभाविक परिस्थितियों में लिखा गया नहीं इस कारण से मृत्यु पत्र शून्यवत् है ।

उनके द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् वसीयतनामा के साक्षियों सहित अन्य गवाहों के कथनों से वसीयतनामें को प्रमाणित पाया गया है । अतः वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण

करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है और तहसीलदार के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा वसीयतनामा को बिना किसी आधार के संदिग्ध मानने में विधि विरूद्ध एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया यह निष्कर्ष भी उचित नहीं है कि आवेदक क्रमांक 1 द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि तहसीलदार के प्रकरण में आवेदक का आवेदन पत्र पूर्व से ही संलग्न है । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य हे ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर